जिलेवार श्रुतलेखक (Scribe) पैनल में सम्मिलित होने के संबंध में विशेष दिशा–निर्देश

1. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमाक F. No. 34–02/2015–DD–III दिनांक 29.08.2018 के माध्यम से दिव्यांगजनों के द्वारा दी जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में गाइडलाईन जारी की गई है एवं इसी संबंध में कार्यालय आदेश क्रमाक F. No. 34–02/2015–DD–III Pt. दिनांक 01.01.2019 के द्वारा मान. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2018 के अनुक्रम में श्रुतलेखक के पैनल नहीं बनाये जाने तक कार्यालय आदेश क्रमाक F. No. 16–110/2003–DD–III दिनांक 26.02.2013 के दिशा निर्देश के अनुरूप श्रुतलेखक उपलब्ध कराने के निर्देश है।
2. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए श्रुतलेखक (Scribe) उपयोग में लिये जाने का प्रावधान है।
3. श्रुतलेखक (Scribe) के रूप में नियुक्ति चाहने के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध श्रुतलेखक (Scribe) पैनल लिंक का उपयोग कर जिलेवार नियोजित पैनल के लिए श्रुतलेखक (Scribe) का सम्पूर्ण विवरण आवश्यक ऑन–लाईन रजिस्ट्रेशन उपरान्त ऑन–लाईन ही भरा जाना होगा।
4. श्रुतलेखक (Scribe) के रूप में नियुक्ति हेतु स्वयं का फोटो पहचान पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपी केन्द्राधीक्षक को देनी होगी।
5. श्रुतलेखक (Scribe) के संबंध में किसी प्रकार का गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुतलेखक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
6. आयोग द्वारा श्रुतलेखक (Scribe) हेतु निर्धारित योग्यता निम्नानुसार है :–

परीक्षा के लिए विज्ञापनानुसार निर्धारित न्यूनतम योग्यता जिसका अभ्यर्थी परीक्षार्थी है	**श्रुतलेखक की योग्यता**
(अ) स्नातकोत्तर उपाधि	अधिकतम स्नातक
(ब) स्नातक उपाधि	अधिकतम द्वितीय वर्ष टी.डी.सी.
(स) सीनियर हायर सैकण्डरी	अधिकतम सैकण्डरी

नोट :– अभ्यर्थी जिस विषय मे परीक्षा दे रहा हो, उसे उसी विषय के श्रुतलेखक की सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी।

7. आयोग द्वारा श्रुतलेखक (Scribe) को पारिश्रमिक का भुगतान प्रति सत्र **100 रूपये** की दर से किया जाएगा।
8. श्रुतलेखक (Scribe) से एक वचनपत्र (Undertaking) प्रपत्र–क केन्द्राधीक्षक द्वारा परीक्षा के समय भरवाकर लिया जावेगा।
9. यथासंभव आवेदक श्रुतलेखक (Scribe) जिस जिले के रहने वाले है उसी जिले में आवेदित अभ्यर्थियों के लिए श्रुतलेखक (Scribe) के रूप में कार्य करने हेतु पंजीयन करवायें ताकि आने–जाने में सुगमता रहे।
10. जिलेवार उपलब्ध पैनल में पंजीकृत श्रुतलेखकों को जिला कलक्टर/नोडल अधिकारी (वरिष्ठ आर.ए.एस. स्तर के अधिकारी) द्वारा आवश्यकतानुसार श्रुतलेखक के रूप में कार्य करने हेतु मनोनीत कर सकेंगे।
11. श्रुतलेखक (Scribe) का कार्य करते समय अभ्यर्थी को प्रश्न बोलकर बताया जायेगा एवं श्रुतलेखक (Scribe) तदनुसार उत्तरपुस्तिका में अभ्यर्थी द्वारा बोलकर बताये अनुसार उत्तर लिखना होगा तथा स्वयं के मन से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखने के लिए बाध्य होंगे।

प्रपत्र–क

श्रुतलेखक की फोटो

वचन–पत्र

परीक्षा केन्द्र का नाम : ....

परीक्षा का नाम : ....

उपरोक्त उल्लेखित परीक्षा हेतु मेरे द्वारा .... अभ्यर्थी को श्रुतलेखक के रूप मे सेवाएं आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप दी गयी है। श्रुतलेखक के रूप में मेरा पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :–

नाम :– ....

पिता का नाम :– ....

पूर्ण पता :– ....

....

मोबाईल नम्बर :– ....

फोटो पहचान पत्र विवरण :– ....

अर्जित शैक्षणिक योग्यता मय दिनांक :– ....

....

हस्ताक्षर श्रुतलेखक
दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक .... को आयोजित उपरोक्त उल्लेखित परीक्षा हेतु उपरोक्त श्रुतलेखक द्वारा अभ्यर्थी .... को श्रुतलेखक के रूप में सेवाएं प्रदान की गयी है । श्रुतलेखक की फोटो पहचान पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपी भी इस वचन पत्र के साथ संलग्न कर दी गई है।

हस्ताक्षर केन्द्राधीक्षक
दिनांक :

केन्द्राधीक्षक का नाम :–

मोबाईल .नं. :–